# कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार


पत्रांक : 01/यो0बजट-12/2016-25 दिनांक : 09.01.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत जोन्हा फॉल पार्क का सौन्दर्यीकरण हेतु कुल **रू0 60.244 लाख (साठ लाख चौबीस हजार चार सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंगः-** विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-18/2016-46/स्वी0 व0प0 दिनांक 03.01.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0-18/ 2016-80/आ0 व0प0 दिनांक 04.01.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 60.244 लाख (साठ लाख चौबीस हजार चार सौ रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---|---|---|
| मजदूरी | 19P240601796590103 | 37.972 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19P240601796590323 | 22.272 |
| **कुल :-** | | **60.244** |

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश के **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** पर द्रष्टव्य है।

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\TSP\RSP\Jonha fall (7)\Jonha Fall Park.doc

3. इस योजना का कोड संख्या– पी0 19P240601796590103 तथा पी0 19P240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारी सबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र–राँची/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

5. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

6. राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

7. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति इस कार्यालय को लेख हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

9. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसा के अनुसार की जायेगी।

12. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि

दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

**13.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

**14.** स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2016 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,

8/11/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\TSP\RSP\Jonha fall (7)\Jonha Fall Park.doc

दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

**13.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

**14.** स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2016 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

**<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।**

विश्वासभाजन,

9/1/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–12/2016–25** दिनांक– **09.01.2017**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र–राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।**

9/1/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\TSP\RSP\Jonha fall (7)\Jonha Fall Park.doc

दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

**13.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

**14.** स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2016 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,
9/1/2017
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0बजट–12 / 2016–25** दिनांक– **09.01.2017**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र–राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0बजट–12 / 2016–25** दिनांक– **09.01.2017**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

9/1/2017
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

# वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत जोन्हा फॉल पार्क के लिए प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची

(राशि लाख में)

| क्र0 सं0 | भौतिक लक्ष्य | प्राक्कलित राशि | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi |
| 1 | गेट का निर्माण | 1.105 | 0.696 | 0.409 | 1.105 |
| 2 | पीने की पानी की व्यवस्था | 1.024 | 0.645 | 0.379 | 1.024 |
| 2 | शौचालय का निर्माण | 10.034 | 6.321 | 3.713 | 10.034 |
| 3 | 20 बेंच की स्थापना | 4.083 | 2.572 | 1.511 | 4.083 |
| 4 | पी0सी0आर0 पथ का निर्माण | 22.194 | 13.982 | 8.212 | 22.194 |
| 5 | Const. of Gazabo | 2.180 | 1.373 | 0.807 | 2.180 |
| 6 | Const. of Gazabo (Roof Top) | 1.581 | 0.996 | 0.585 | 1.581 |
| 7 | Const. of CLM Fencing | 15.321 | 9.670 | 5.651 | 15.321 |
| 8 | 150 एम0एम0 बोरिंग की स्थापना | 2.722 | 1.715 | 1.007 | 2.722 |
| योग :– | | **60.244** | **37.972** | **22.272** | **60.244** |

9/1/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

# आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-12/2016/25 दिनांक - 09-Jan-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं0 | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P 19 240601796590103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी | 82390 | DRNFWL013<br>RAJIV LOCHAN BAKSHI<br>DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA | 3,797,200.00<br>रुपये सैतीस लाख सित्तानवे हजार दो सै |
| 2 | P 19 240601796590323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 82391 | DRNFWL013<br>RAJIV LOCHAN BAKSHI<br>DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA | 2,227,200.00<br>रुपये बाइस लाख सत्ताइस हजार दो सै |

योग: 6,024,400.00

क्रमिक योग: रुपये साहठ लाख चौइस हजार चार सौ

Chauhan 9/1/2017

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI



164.100.150.21

Run Date: 9/1/2017